

क्रमांक:- 1023
दिनांक:- 26/9/16

प्रषक:- वन मण्डल अधिकारी,
कैथल।

सेवा में:- वन संरक्षक उत्तरी परि०,
हरियाणा, पंचकूला।

विषय:- Diversion of 0.288 Ha. of Forest Land for construction of new HL Bridge down stream side of existing HL Bridge on Ghaggar river at Km. 235 on Kaithal-Patiala Road, under Forest Division & Distt. Kaithal, Haryana.

:-

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में Executive Engineer, Provincial Division No.-II, PWD B&R, Kaithal द्वारा Diversion of 0.288 Ha. of Forest Land for construction of new HL Bridge down stream side of existing HL Bridge on Ghaggar river at Km. 235 on Kaithal-Patiala Road, under Forest Division & Distt. Kaithal, Haryana. के प्रयोग हेतु इस केस में 0.288 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत जो प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। इस केस की औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

इस प्रस्ताव में यूजर एजेंसी द्वारा नैट प्रजैन्ट वैल्यू आफ लैण्ड की राशि 255456/-रु, क्षतिपूर्ति पौधारोपण हेतु 390989/-रु तथा 10 प्रतिशत ओवर हैड में राशि 39098/-रु व बाधक वृक्षों की कटाई का खर्च 2400/-रु तथा नष्ट पौधारोपण पर खर्च राशि 0/-रु सहित कुल 687943/-रु जमा करवाई जायेगी। क्षतिपूर्ति पौधारोपण आर० एफ० सीवन कम्पार्टमेंट नं० 8 पर करवाया जाएगा। प्रस्तावित स्थल के पास कोई प्रतिबन्धित वन्य क्षेत्र नहीं है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अभी तक मौके पर कोई Violation नहीं की गई है। प्रस्ताव को वन संरक्षक केंद्रीय भारत सरकार की वेब साईट पर ऑन लाईन कर दिया गया है। प्रस्ताव चार प्रतियों में स्वीकृति हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्न/उपरोक्त - FRA

Lyons
वन मण्डल अधिकारी,
कैथल।

पृ० क्रमांक:-

दिनांक:-

एक प्रति:-

1. Executive Engineer, Provincial Division No.-II, PWD B&R, Kaithal को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन राजिक अधिकारी, सरस्वती को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि भारत सरकार से केस स्वीकृत होने तक प्रभावित वन क्षेत्र में कोई कार्य न करने दिया जाए।

Sdy
वन मण्डल अधिकारी,
कैथल।